WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, औरैया
विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

उपस्थितः राजेश चौधरी, एच0जे0एस0

विशेष वाद संख्या 59पी / 2019

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष।

प्रति

श्यामवीर पुत्र खुशीलाल निवासी बरकसी थाना बेला, जिला औरैया हाल निवासी दत्तक पुत्र राजाराम, शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया।

............................अभियुक्त।

मु0अ0सं0– 185 / 2019
धारा–376–कख भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5 / 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम
थाना–बेला, जनपद औरैया।

अभियोजन पक्ष की ओर से–
श्री जितेन्द्र सिंह तोमर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)

बचाव पक्ष की ओर से – विद्वान अधिवक्ता प्रीती गुप्ता एड0

निर्णय

1. पुलिस थाना बेला जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त श्यामवीर पुत्र खुशीलाल निवासी बरकसी थाना बेला, जिला औरैया, हाल निवासी दत्तक पुत्र राजाराम, शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 185 / 2019 थाना बेला जिला औरैया में प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5 / 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विचारण किया जा रहा हैं।

2. भा0दं0सं0 1860 की धारा 228–क (03 फरवरी 2013 से प्रभावी) में दी गयी विधिक व्यवस्था एवं माननीय उच्चतम न्यायालय

WWW.LIVELAW.IN

द्वारा निर्णीत विधियों में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर इस न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता (Victim), जो कि वादी मुकदमा सुबोध कुमार की पुत्री है, का नाम उजागर किया जाना उचित नहीं है। अतः सुविधा की दृष्टि से आगे उसे ''पीड़िता'' कहकर सम्बोधित किया जाएगा।

3. इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट, सुबोध कुमार पुत्र भारत सिंह निवासी शंकरपुर थाना बेला जनपद औरैया द्वारा थाना बेला जनपद औरैया में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.08.2019 के आधार पर पंजीकृत की गयी थी। प्रथम सूचना दाता सुबोध कुमार द्वारा थाना बेला जनपद औरैया में दिनांक 01.08.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में कथन इस प्रकार है कि ''प्रार्थी सुबोध कुमार पुत्र भारत सिंह निवासी शंकरपुर थाना बेला जनपद औरैया का रहने वाला है। मेरी पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 04 वर्ष आज मेरे ही गांव के प्रायमरी स्कूल आंगनबाड़ी में पढ़ती है, दोपहर लंच के बाद करीब साढ़े नौ–दस बजे पड़ोस के श्यामवीर पुत्र खुशीलाल निवासी बरकसी दत्तक पुत्र राजाराम ग्राम शंकरपुर थाना बेला जनपद औरैया के घर की तरफ खेलने गई थी। श्यामवीर बुलाकर अपने घर ले गये। उसके घर में कोई नहीं था। मेरी बच्ची को अकेला पाकर बुरी नियत से पेशाब करने की जगह पर दुष्कर्म करने के उद्देश्य से चारपाई पर बैठालकर पेशाब की जगह अंगुली डाल दिया। इससे बच्ची की पेशाब करने की जगह से खून निकल रहा है। बच्ची ने आकर अपनी मां गुड्डी देवी से बताया तब मेरी पत्नी गुड्डी ने मुझे सूचना दी। बच्ची को लेकर थाने आया हूं। मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4. वादी मुकदमा सुबोध कुमार द्वारा दी गयी तहरीर/सूचना के आधार पर मु0अ0सं0–185/2019 अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम थाना बेला जनपद औरैया में दिनांक 01.08.2019 को समय 18.13 बजे अभियुक्त श्यामवीर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक श्री बृजेश कुमार भार्गव द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त श्यामवीर के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का प्रेषित किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

5. अभियुक्त श्यामवीर के न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2019 को अभियुक्त श्यामवीर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 376—कख भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियुक्त श्यामवीर के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है—

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साबित किए गए प्रपत्र
1.	पीड़िता	बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क—01, बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क—02
2.	सुबोध कुमार (वादी मुकदमा)	प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श क—03,
3.	गुड्डी देवी (वादी मुकदमा की पत्नी)	पीड़िता की माता
4.	डा0 सीमा गुप्ता (चिकित्साधिकारी)	चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क—04 एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क—05
5.	महिला कां0 प्रमिला यादव (लेखक चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट)	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क—06 एवं सामान्य डायरी प्रदर्श क—07
6.	महिला कां0 शोभा देवी	फर्द प्रदर्श क—08
7.	कल्पना देवी	जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श क—09
8.	श्रीमती मधुबाला	स्वतन्त्र साक्षी
9.	उपनिरीक्षक बृजेश कुमार भार्गव (विवेचक)	नक्शानजरी प्रदर्श क—10 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क—11

7. अभियोजन प्रपत्रों में क्रमशः प्रदर्श क—01 पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0, प्रदर्श क—02 बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0, प्रदर्श क—03 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र, प्रदर्श क—04 चिकित्सीय परीक्षण आख्या, प्रदर्श क—05 पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या, प्रदर्श क—06 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क—07 सामान्य डायरी, प्रदर्श क—08 फर्द कब्जा

WWW.LIVELAW.IN

लेने पीड़िता के कपड़े, प्रदर्श क–09 जन्मतिथि प्रमाण पत्र, प्रदर्श क–10 नक्शा नजरी, प्रदर्श क–11 आरोप पत्र है।

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त श्यामवीर का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभिकथन किया है कि वादी सुबोध कुमार के भाई नीरज की पत्नी मधुबाला के राजाराम के लड़के अर्जुन से गलत सम्बन्ध थे। राजाराम ने कई बार मधुबाला को समझाया था तथा वादी से कहा तो धमकी दिया कि मैं तेरे परिवार के लोगों को बलात्कार के झूठे मुकदमें में फंसा दूंगा। इसी रंजिश के कारण अभियुक्त श्यामवीर का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा दिया है। श्यामवीर, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को नहीं ले गया, न ही उसके साथ गलत काम किया था। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है

9. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376–कख भा0दं0सं0 का अपराध कारित करने का आरोप विरचित किया गया है। धारा 376–कख भा0दं0सं0 दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 से अन्तः स्थापित की गयी है, जोकि दिनांक 21.04.2018 से लागू की गयी है। भा0दं0सं0 की धारा 376–कख इस प्रकार है–
''जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा; परन्तु यह कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों और पुनर्वासन को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और युक्तियुक्त होगा। परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जायेगा।''

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त श्यामवीर के विरूद्ध धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप भी विरचित किया गया है। धारा 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का

WWW.LIVELAW.IN

संरक्षण अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब कोई जब कोई प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की कोटि में आता है। अधिनियम की धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला का परिभाषित किया गया है। धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम इस प्रकार है–

''कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह–

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।''

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 01.08.2019 को समय सुबह 09.30 बजे से 10.00 बजे के मध्य स्थान ग्राम शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया में जब प्रथम सूचना दाता सुबोध कुमार की अवयस्क पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 04 वर्ष गांव के प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी से लंच के बाद अभियुक्त के घर की तरफ खेलने गयी थी तो अभियुक्त, पीड़िता को बुलाकर अपने घर में ले गया तथा बुरी नियत एवं दुष्कर्म करने के उद्देश्य से पीड़िता को चारपाई पर बैठा लिया तथा पीड़िता की योनि में उंगली डालकर

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता के साथ बलात्संग किया एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया।

13. धारा 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। धारा 5 (ड़) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार है– ''जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।'' तो उसके द्वारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया माना जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता की आयु लगभग 04 वर्ष है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में धारा 5 (ड़) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

14. बलात्संग को धारा 375 भा0दं0सं0 में परिभाषित किया गया है। धारा 375 (ख) भा0दं0सं0 (3 फरवरी, 2013 से प्रभावी) इस प्रकार है– यदि कोई पुरूष ''किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है।'' तो उसके बारे में यह कहा जायेगा कि उसने बलात्संग किया है।

निष्कर्ष

15. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना है कि क्या दिनांक 01.08.2019 को समय सुबह 09.30 बजे से 10.00 बजे के मध्य स्थान ग्राम शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया में जब प्रथम सूचना दाता सुबोध कुमार की अवयस्क पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 04 वर्ष गांव के प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी से लंच के बाद अभियुक्त के घर की तरफ खेलने गयी थी तो अभियुक्त, पीड़िता को बुलाकर अपने घर में ले गया तथा बुरी नियत एवं दुष्कर्म करने के उद्देश्य से पीड़िता को चारपाई पर बैठा लिया तथा पीड़िता की योनि में उंगली डालकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

16. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियक्त रूप से संदेह से परे साबित करना होता है, परन्तु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

WWW.LIVELAW.IN

अधिनियम की धारा 29 में इस अधिनियम के अधीन कारित कतिपय अपराधों के सम्बन्ध में उपधारणा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है—''जहां एक व्यक्ति, इस अधिनियम की धाराओं 3, 5, 7, एवं धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने के लिए, दुष्प्रेरित करने या प्रयास करने या करने के लिए अभियोजित किया जाता है, विशिष्ट न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध को किया है या दुष्प्रेरित किया है या करने का प्रयास किया है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि विपरीत साबित नहीं किया जाता है।'' इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को यह अवधारित करना है कि अभियोजन पक्ष अपने इस विधिक दायित्व का निर्वहन करने में किस सीमा तक सफल रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्षियों का विवेचन एवं मूल्यांकन निम्न लिखित प्रकार से किया जा रहा है—

17. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या—01 के रूप में पीड़िता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या—01 पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त श्यामवीर चच्चू हैं। घटना वाले दिनांक को वह लंच में आंगनबाड़ी केन्द्र से आ रही थी। रास्ते में उसे श्यामवीर चच्चू मिल गये थे और अपने घर में ले गये थे। श्यामवीर हाजिर अदालत अभियुक्त घर पर अकेला था। अभियुक्त श्यामवीर ने उसे चारपाई पर लिटा दिया था। लिटाने के बाद अभियुक्त श्यामवीर ने उसकी सूसू वाली जगह में जबरदस्ती उंगली डाल दी थी, जिससे वह बहुत जोर से चिल्लाई थी और उसके खून निकला था। वह रोने लगी थी। उसकी अभियुक्त ने चढ्डी, उंगली डालते समय उतार दी थी। उसके चोट लग गयी थी और सूसू वाली जगह में खून निकलने लगा था। जब वह जोर से रोने लगी तब अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया था। फिर उसने घर आकर पूरी घटना अपनी मां को बतायी थी। स्कूल में लंच साढ़े नौ बजे होता है और उसी समय वह घर आयी थी तभी अभियुक्त ने उसके साथ घटना की थी। फिर उसके मम्मी—पापा उसे थाने ले गये थे। साक्षी को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो

WWW.LIVELAW.IN

गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो उसने महिला पुलिस आण्टी को दिया था। फिर उसे पुलिस, मम्मी–पापा के साथ अस्पताल ले गयी थी। वहां उसकी डाक्टरी हुई थी। उसके न्यायालय में बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए थे। साक्षी को धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। जिस पर उसकी फोटो लगी है। वह अपने फोटो को पहचानती है। बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–01 एवं बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–02 है।

18. पीड़िता से बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि उसके घर पर मम्मी–पापा, भाई–बहन व दादा–दादी रहते है। चाचा–चाची अलग घर में रहते हैं। वह आंगनवाड़ी में एक साल से पढ़ रही है। सुबह उसे उसकी मम्मी जगाती है। मम्मी, दीदी को भी उठाती है। दीदी उसके साथ स्कूल जाती है। उसके साथ उसकी बहन नव्या व भाई नितिन स्कूल जाते हैं, लेकिन वह आंगनवाड़ी में जाती है। वह स्कूल 07.00 बजे जाती है, स्कूल की छुट्टी 01.00 बजे होती है। घटना किस दिन की है, उसे नहीं मालूम। वह स्कूल में खाना लेकर जाती है और वहीं खाना खाते है। लंच में बाहर खेलने आ जाते है, उसके घर से आंगनवाड़ी केन्द्र थोड़ी दूर है, पेशाब करने बाहर जाती है। घटना के बाद उसे जब चोट लगी तो वह सीधी घर अकेली आ गयी थी और मां को सारी बात बतायी। दीदी व भइया उस समय स्कूल में थे। घर में मम्मी को बात बताई थी। पापा थोड़ी देर में घर आये थे। पापा गाड़ी से पुलिस घर ले गये थे। पुलिस घर में वह, मम्मी व पापा गये थे। उसे चोट लगने के बाद उसके रोने पर बचाने कोई नहीं आया था। घटना वाले दिन फ्राक व चड्ढी पहने थे। पुलिस घर में एक पुलिस आण्टी व पुलिस अंकल मिले थे, उसने उन्हें पूरी बात बतायी थी। उसका पुलिस आण्टी ने बयान लिखा था। उसका अंगूठा बयान पर नहीं लगवाया था। फिर उस दिन मम्मी–पापा के साथ घर आ गयी थी। पुलिस अंकल उसके घर किस दिन आये थे, उसे याद नहीं है। पुलिस अंकल जब घर आये थे, तब उसके मम्मी–पापा व बहन नन्दिनी मिले थे। दादा–दादी व चाचा–चाची भी मिले थे। उसके मम्मी–पापा से

WWW.LIVELAW.IN

पुलिस ने पूछताछ की थी। पुलिस अंकल उसे अस्पताल लिवा ले गये थे। दूसरे दिन अस्पताल लिवा ले गये थे। उस दिन सुबह मम्मी ने उसे नहलाया था। उसकी चोट डाक्टर ने अस्पताल में देखी थी। उस समय साथ में मम्मी–पापा थे और डाक्टर साहब थे। उन्होंने उससे पूछताछ की थी। उसके सामने मम्मी–पापा से हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत है कि वह लंच में बाहर पेशाब करने गयी थी और उसे लकड़ी लग जाने के चोट आयी हो। यह कहना गलत है कि श्यामवीर चच्चू ने उसे कोई चोट न पंहुचाई हो। उसे श्यामवीर चच्चू के पिता का नाम नहीं मालूम है। वह जब न्यायालय में बयान देने आई है तो उसे किसी ने नहीं समझाया है। वह सच्ची बात बता रही है। वह मम्मी–पापा के साथ आयी है। एक बार और न्यायालय में आयी है। यह कहना गलत है कि वह आज मम्मी के बताने के आधार पर बातें बता रही है।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए तथ्य का दूसरा साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार, वादी मुकदमा को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार ने न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता उसकी पुत्री है। जिसकी उम्र लगभग चार–साढ़े चार वर्ष है। जन्मतिथि 12 अप्रैल 2015 है। पीड़िता मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ती है, जोकि उसके घर से 10–12 घर छोड़कर है। दिनांक 01.08.2019 को वह (पीड़िता) रोज की भांति सुबह आंगनबाड़ी केन्द्र पर पढ़ने के लिए गयी हुई थी। उसके (पीड़िता के) साथ उसके अन्य दो बच्चे नितिन व नव्या गये थे, जो वहीं पर स्थित प्रा0 वि0 स्कूल में पढ़ते हैं। लंच के समय करीब साढ़े नौ–दस बजे जब उसकी बेटी पीड़िता खेलते–खेलते बाहर आ गयी तो हाजिर अदालत अभियुक्त श्यामवीर की झोपड़ी की तरफ पहुंची गयी। जहां पर हाजिर अदालत अभियुक्त, उसको (पीड़िता को) बुलाकर घर ले गया। इसके घर पर कोई नहीं था। उसकी बच्ची को अकेला पाकर बुरी नियत से उसकी (पीड़िता की) पेशाब करने की जगह में उंगली डाल दी, जिससे बच्ची पीड़िता की पेशाब करने की जगह से खून निकल रहा था। पीड़िता ने घर आकर अपनी मां को सारी बात बतायी थी। पत्नी ने उसे सूचना दी, वह उस समय घर के बाहर काम कर रहा था। फिर वह

WWW.LIVELAW.IN

व उसकी पत्नी, बेटी पीड़िता को लेकर थाना बेला गये और बाहर एक लड़के से तहरीर लिखवाकर उससे पढ़–सुन व समझकर उस पर हस्ताक्षर करके थाने में तहरीर देकर हाजिर अदालत अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज संख्या 4क/3 पढ़कर गवाह को सुनाई गयी व दिखाई गयी तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने एक अपरिचित व्यक्ति से लिखवाकर उससे सुनकर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने में दिया था। जो प्रदर्श क–03 है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10क/2 पर वर्णित बयान को गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह बयान डाक्टर साहब द्वारा पूछताछ करके अस्पताल में लिखवाया गया था। जिस पर उसकी बेटी के पंजे का निशान लिया गया था तथा उसके व पत्नी के हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसकी बेटी का बयान लिया था और मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान कराया था तथा उसकी (पीड़िता की) अस्पताल में डाक्टरी भी करायी गयी थी। उसने आज जो बयान दिया है वही बयान विवेचक को दिया था।

20. अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर के बाहर चारपाई बना रहा था। वह मजदूरी करता है। वह पढ़ा–लिखा नहीं है, केवल हस्ताक्षर बना लेता है। वह दो भाई हैं उससे छोटा भाई नीरज अलग रहता है। उसकी बेटी पीड़िता दिनांक 12.04.2015 को पैदा हुई थी। बर्थ सर्टीफिकेट नहीं बनवाया था। उसकी पत्नी कक्षा 08 तक पढ़ी है। जन्मतिथि उसकी पत्नी ने भी बतायी थी। उसकी बेटी पीड़िता का स्कूल में एडमीशन नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी में पढ़ती है। श्यामवीर के दत्तकपुत्र का कागज नहीं देखा है, लेकिन जानता है कि वह दत्तक पुत्र है। अभियुक्त की मां को राजाराम ने रखा लिया है, लिहाजा वह दत्तक पुत्र के रूप में जानता है। यह बात सही है कि हाजिर अदालत अभियुक्त ग्राम शंकरपुर का मूल निवासी नहीं है। राजाराम के पहली पत्नी के तीन लड़के हैं। राजाराम के बड़े लड़के का नाम अर्जुन सिंह, उसके बाद जगत सिंह, फिर सुग्रीत हैं तथा हाजिर अदालत अभियुक्त दत्तक पुत्र के रूप में है। राजाराम के घर दो चार महीने से आना–जाना नहीं है। यह

WWW.LIVELAW.IN

कहना गलत है कि उसका भाई नीरज, अर्जुन की पत्नी से बात करता है और उससे सम्बन्ध हो और इसी कारण से आना–जाना बन्द कर दिया हो। घटना की तारीख 01.08.2019 व समय 09.30 बजे की है। इसी महीने की घटना है। वह अंग्रेजी महीना नहीं जानता है। उसकी बेटी पीड़िता 10.00–10.30 बजे घर पर मिली थी। थाने वह, उसकी पत्नी व उसकी बेटी गयी थी। वह घर से तहरीर नहीं ले गया था। वहीं थाने के बाहर अपरिचित किसी लड़के से बोल–बोलकर तहरीर लिखवायी थी। उसने पढ़ी नहीं थी, बल्कि उसने पढ़कर सुनाया था तब उसने दस्तख्त किये थे। उसकी बच्ची की देखभाल के कारण उसकी पत्नी तहरीर नहीं लिख पायी थी। थाने में दरोगा जी ने लड़की के कपड़े उसके सामने व उसकी पत्नी के सामने लिए थे। फिर दरोगा जी ने दवा दिलवायी थी, फिर अगले दिन डाक्टरी करवायी थी। दरोगा जी गांव आये थे उन्हें उसने घटनास्थल दिखाया था तथा दरोगा जी ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया था। दरोगा जी कहां–कहां अभियुक्त को पकड़ने के लिए गये थे उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह थाने पर बैठा था। वह, उसकी पत्नी व बेटी थाने में थोड़ी देर रूककर घर आ गये थे। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन उसकी बेटी पीड़िता पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र न गयी हो और घर में रही हो। जब उसकी बेटी घर आयी थी तब वह अपने घर की चारपाई ठीक कर रहा था। उस दिन वह मजदूरी करने कहीं नहीं गया था। यह कहना गलत है कि उसकी बेटी पीड़िता के साथ हाजिर अदालत अभियुक्त ने घटना कारित न की हो और उसने झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह कहना गलत है कि वह रंजिश के कारण हाजिर अदालत अभियुक्त के विरूद्ध गवाही दे रहा है। यह कहना सही है कि उसने घटना नहीं देखी है और बेटी के बताने के अनुसार रिपोर्ट लिखायी है।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने लिए तथ्य के तीसरे साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी, पीड़िता की मां को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि पीड़िता उसकी पुत्री है। जिसकी उम्र करीब सवा चार वर्ष है व जन्मतिथि 12.04.2015 है। पीड़िता, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ती

WWW.LIVELAW.IN

है, जो गांव में स्थित है। रोज की भांति दिनांक 01.08.2019 को भी पीड़िता घर से सुबह सात बजे आंगनबाड़ी केन्द्र पर पढ़ने के लिए गयी थी। साथ में उसकी बेटी नव्या व बेटा नितिन भी गया था, जोकि बगल में स्थित प्रा0वि0 में पढ़ते हैं। लंच के समय करीब साढ़े नौ–दस बजे जब उसकी बेटी खेलते–खेलते केन्द्र के बाहर आ गयी और हाजिर अदालत अभियुक्त के घर के पास पहुंच गयी तो हाजिर अदालत अभियुक्त अपने घर पर उसकी बेटी को ले गया। इसके घर पर कोई नहीं था। उसको (पीड़िता को) चारपाई पर लिटाकर उसकी पेशाब की जगह में जबरदस्ती बुरी नियत से उंगली डाल दी जिससे उसकी (पीड़िता की) पेशाब की जगह में चोट लग गयी व खून निकलने लगा। वह (पीड़िता) रोने लगी तो अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया तब वह (पीड़िता) रोते हुए घर आयी और पूरी घटना उसे बतायी। तब उसने बाहर काम कर रहे अपने पति को घटना बतायी और वह दोनों लोग बिटिया को लेकर थाने गये। जहां पर उसके पति ने थाने के बाहर एक लड़के से तहरीर बोल–बोलकर लिखायी और अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने में देकर मुकदमा लिखाया था। थाने में उसकी बेटी का बयान हुआ था, जोकि महिला कां0 ने लिखा था। गवाह को पत्रावली में शामिल कागज संख्या 7क बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो उसकी बेटी के बताने पर थाने पर महिला कां0 ने लिखा था। उसकी बेटी का महिला चिकित्सक ने बयान लिया था, जोकि उसने लिखा था। यह बयान बिटिया के बताने पर लिखा गया था, जोकि पत्रावली में उसके हस्तलेख में कागज संख्या 10क/2 के रूप में शामिल है, जिस पर उसके, उसके पति के व देवर नीरज व महिला कां0 के हस्ताक्षर हैं। उसकी बिटिया के पंजे की छाप ली गयी थी। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर व लिखे गये बयान की पुष्टि की। उसकी बिटिया का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ था जोकि महिला मजिस्ट्रेट ने लिखा था। महिला मजिस्ट्रेट ने जो पूछा था वह बयान अंकित किया गया था और उसे व उसकी बिटिया को पढ़कर सुनाया गया था। गवाह को धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान जिस पर प्रदर्श क–02 अंकित है, पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो महिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बेटी से पूछ–पूछकर लिखा था। साक्षी ने बयान के लेख व अपनी

WWW.LIVELAW.IN

बेटी के निशान अंगूठा व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। विवेचक ने उसका बयान लिया था और घटनास्थल पर घटनास्थल का नक्शानजरी भी पुलिस ने बनाया था। उसकी बेटी की पेशाब की जगह में चोट थी और उसके (पीड़िता के) खून निकल रहा था। उसका (पीड़िता का) मेडीकल परीक्षण सरकारी अस्पताल औरैया में हुआ था।

22. अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी गुड्डी देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि उसने स्वयं घटना नहीं देखी है। वह पढ़ी–लिखी है। पढ़ना–लिखना जानती है। वह कक्षा 08 तक पढ़ी है। साल में कितने महीना होते हैं, उसे मालूम है। घटना के बाद उसकी बेटी करीब 10.00 बजे घर आयी थी। बिटिया घर अकेली आयी थी। बिटिया ने उसे 10 मिनट में सारी बात बतायी थी। फिर उसने उसके पिता को बुलाकर बेटी की घटना बतायी थी। उसने घटना अपने पति, देवर और गांव की रीना देवी को बतायी थी। देवर का घर पड़ोस में है। घटना सुनकर वह रोने लगी थी। रोने की आवाज सुनकर उसके देवर आदि आ गये थे। उससे रीना आदि के सम्बन्ध में किसी ने नहीं पूछा था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया था। लगभग दो घण्टे बाद वह लोग थाने गये थे। थाने वह, उसका पति व बेटी मोटरसाइकिल से गये थे। दूसरी मोटरसाइकिल से बेटी के चाचा गये थे। चाचा के साथ रीना गयी थी, जो मुहल्ले की रहने वाली है। एक मोटरसाइकिल उसके चचिया ससुर व दूसरी मोटरसाइकिल उसके देवर की थी। थाने वह लोग साथ–साथ गये थे। थाने पंहुचने में करीब आधा घण्टा लगा था। तहरीर उसने नहीं लिखी थी। वह थाने में बैठी रही। उसके पति ने थाने के बाहर से किसी से लिखवाकर थाने में दी थी। वह व्यक्ति अपरिचित था, उसने भी तहरीर को पढ़ा था। तहरीर उसने परेशानी के कारण स्वयं नहीं लिखी थी। घटना वाले दिन वह, उसके पति तथा बिटिया थाने में एक बजे रात तक रूके थे। श्यामवीर मूल रूप से यहां का रहने वाला नहीं है, लेकिन गांव में रहता है। उसके देवर का नाम नीरज है, जो मजदूरी करता है। उसका मुल्जिम के यहां आना–जाना नहीं है। वह अपनी बेटी को आंगनबाड़ी में छोड़ने जाती है, लेने नहीं जाती है। आंगनबाड़ी में एडमीशन कराने वह गयी थी। वह जन्म प्रमाण पत्र लेने नहीं गयी

WWW.LIVELAW.IN

थी, न उसने अभी बनवाया है। आंगनबाड़ी केन्द्र उसके घर से करीब 10–12 घर छोड़कर स्थित है। आंगनबाड़ी से एक घर छोड़कर श्यामवीर का घर स्थित है। यह कहना गलत है कि श्यामवीर उसकी लड़की को न ले गया हो। यह कहना गलत है कि राजाराम की बहू से उसके देवर नीरज के बात करने व सम्बन्धों के कारण उसने मुकदमा लिखाया हो। यह कहना गलत है कि उसकी बेटी आंगनबाड़ी केन्द्र न गयी हो और अभियुक्त द्वारा उसके (पीड़िता के) साथ घटना न कारित की गयी हो। यह कहना गलत है कि उसकी बेटी के पेशाब करने के समय लकड़ी लग जाने से चोट आयी हो, बल्कि सही बात है कि अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गयी है। राजाराम का घर उसके घर से उत्तर दिशा में है और अभियुक्त का घर आंगनबाड़ी केन्द्र के पास स्थित है। श्यामवीर के पूरब में बबूल की झाड़ियां खड़ी हैं। पश्चिम दिशा में भी झाड़ियां खड़ी हैं। दिशा उत्तर में भी झाड़ियां है तथा दिशा दक्षिण में बादहू सड़क खेत स्थित हैं। यह कहना गलत है कि उसने हाजिर अदालत अभियुक्त के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया हो। दरोगा जी ने उसके, उसकी बेटी, उसके पति के बयान लिये थे और किसके बयान लिये थे उसे नहीं मालूम है। यह कहना गलत है कि आज वह झूठी गवाही दे रही है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए तथ्य के चौथे साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.08.2019 को समय करीब 09.30 बजे की बात है वह अपने घर से खेत पर खड़ंजा मार्ग से जा रही थी। रास्ते में स्कूल के पास पीड़िता पुत्री सुबोध कुमार को, अभियुक्त श्यामवीर हाथ पकड़कर अपने घर की ओर ले जा रहा था। वह अपने खेत पर चली गयी थी। जब वह 10.30 बजे लौटकर आयी तब मुहल्ले में पीड़िता के साथ घटी घटना की जानकारी हुई तब उसने पीड़िता की मां को उपरोक्त बात बतायी थी और विवेचक ने उसका बयान लिया था तब उसने उनको भी आज दिया हुआ बयान बताया था।

24. अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी श्रीमती

WWW.LIVELAW.IN

मधुबाला ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह अकेले खेत पर जा रही थी। खेत पर पचासों लोग मिले थे, वह नाम नहीं बता सकती। वह पीड़िता की चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी थी। अच्छी तरह जा रहे थे। श्यामवीर बुरी नियत से नहीं ले जा रहा था। घर आकर उसने लड़की को खूनी हालत में (पेशाब की रास्ते में खून आ रहा था) देखा था। श्यामवीर पांच भाई हैं, उनके नाम नहीं बता सकते। मम्मी–पापा उसनके यहां रहते हैं। श्यामवीर, खुशीलाल का दत्तक पुत्र है। राजाराम के तीन लड़क हैं। सभी विवाहित हैं सबके लड़के–बच्चे हैं। सभी अलग–अलग रहते हैं। उसकी अर्जुन के परिवार से बोल–चाल है। यह कहना गलत है कि उसकी अर्जुन से बातचीत होती हो और सम्बन्ध हो, इसीलिए राजाराम ने विरोध किया हो और उसी रंजिश के कारण श्यामवीर को फंसाया गया हो। यह कहना गलत हो कि श्यामवीर को घर से बुलाया हो, तब पकड़वाया हो, जबकि सही बात यह है कि उसे पुलिस ने पकड़ा हो। यह कहना गलत है कि श्यामवीर ने कोई घटना कारित न की हो।

25. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–04 के रूप में डा0 सीमा गुप्ता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–04 डा0 सीमा गुप्ता ने न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.08.2019 को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी और वर्तमान में भी कार्यरत है। उक्त दिनांक 02.08.2019 को समय 10.30 ए0एम0 पर पीड़िता पुत्री सुबोध कुमार निवासी ग्राम शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया को महिला कां0 ममता देवी थाना बेला जिला औरैया से मडीकल परीक्षण हेतु लेकर आयी थी। उसने पीड़िता का दाहिने हाथ का पंजा लगाकर पीड़िता की मां गुड्डी देवी, पीड़िता के पिता सुबोध व महिला कां0 की सहमति से पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था। पीड़िता के बाह्य शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता की गुप्तांग का परीक्षण करने पर देखा कि योनि में चोट थी जो छः बजे (6 O'Clock) की स्थिति पर थी। आकार 1/2 x 1/2 सेमी0 का घाव था, जहां से खून आ रहा था व लाल रंग का जमा हुआ खून भी था। गुप्तांग के चारों तरफ जमा हुआ खूना था। उसने

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास एक्स–रे के लिए भेजा था। दिनांक 17.08.2019 को एक्स–रे की रिपोर्ट आने पर उसने पूरक मेडीकल रिपोर्ट तैयार की। पीड़िता की उम्र लगभग 05 वर्ष थी। चिकित्सीय परीक्षण में योनि में चोट थी, जहां पर खून जमा हुआ था। गुप्तांग के चारों ओर लाल रंग का खून जमा हुआ था, जो सैक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। पत्रावली में शामिल मेडीकल रिपोर्ट कागज संख्या 10क/1 लगायत 10क/7 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जो प्रदर्श क–04 है। एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके द्वारा पूरक मेडीकल रिपोर्ट तैयार की गयी है जो पत्रावली में 10क/8 लगायत 10क/9 के रूप में शामिल है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है तथा प्रदर्श क–05 है।

26. चिकित्सक साक्षी डॉ0 सीमा गुप्ता से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि उसने मुख्य परीक्षा में जो छः बजे (6 O'Clock) की स्थिति की चोट बतायी है वह चोट लकड़ी लगने से आ सकती है, किन्तु पीड़िता, जो पांच वर्ष की थी, उसके चोट अभियुक्त द्वारा उंगली से पंहुचायी गयी है, बताया था और पीड़िता के चोट लकड़ी से आना सम्भव भी नहीं है। मेडिकल परीक्षण के समय पीड़िता की मां, पिता, चाचा व महिला कां0 साथ आयी थी। पीड़िता का बयान पीड़िता के बताने के आधार पर पीड़िता की मां ने लिखे थे और हस्ताक्षर किये थे। उस समय पीड़िता के पिता व चाचा भी साथ थे। लोकलाज को ध्यान में रखते हुए मेडीकल परीक्षण के समय पीड़िता की मां और महिला कां0 उपस्थित रहते हैं। पुरूष नहीं रहते हैं। परीक्षण के समय पीड़िता के खून रिस रहा था और वही खून आस–पास जमा था और पहले से था। ताजा होने के कारण लाल रंग था। जब तक परीक्षण व दवा आदि उपलब्ध न करायी जाये तो खून बह सकता है। उसके समक्ष पीड़िता जैसे ही मेडीकल परीक्षण हेतु आयी थी, उसने तुरन्त उसको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी थी और परीक्षण किया था। यह कहना गलत है कि पीड़िता के आये बिना ही उसका चिकित्सीय परीक्षण किया हो।

27. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की आयु को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–07 के रूप में कल्पना देवी, प्रभारी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया को

WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–07 कल्पना देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह लगभग 07 वर्ष से इस केन्द्र पर तैनात है और प्रभारी के रूप में कार्य कर रही है। उसके केन्द्र पर पीड़िता पुत्री सुबोध कुमार निवासी शंकरपुर थाना बेला का पंजीकरण है। पीड़िता की उम्र उसके माता–पिता द्वारा 12.04.2015 अंकित करायी गयी है। इसका नाम केन्द्र पर इसके पैदा होने के बाद से दर्ज है। उसके माता–पिता द्वारा ही उसकी जन्मतिथि अंकित करायी गयी है। जन्मतिथि के सम्बन्ध में पत्रावली में कागज संख्या 9क प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जो प्रधानाध्यापक पूनम वाजपेई ने हस्ताक्षरित किया है। साक्षी ने प्रमाण पत्र के लेख व प्रधानाध्यापक पूनम वाजपेई के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। जो प्रदर्श क–09 है। उसके अभिलेखों के अनुसार व प्रमाण पत्रों के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 12.04.2015 है।

28. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–06 के रूप में महिला कां0 शोभा देवी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–06 महिला कां0 शोभा देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.08.2019 को वह थाना बेला में कार्यालय में तैनात थी। उक्त दिनांक को पीड़िता उम्र 04 वर्ष पुत्री सुबोध कुमार निवासी शंकरपुर थाना बेला जनपद औरैया अपनी मां व पिता के साथ थाने पर आयी थी। उसने उक्त मामले के विवेचक के निर्देश पर पीड़िता का बयान अंकित किया था। बयान उसने पीड़िता से पूछ–पूछकर लिखा था। पीड़िता की उम्र कम होने के कारण उसने घटना के सम्बन्ध में प्रश्न किये थे और उनके उत्तर कुछ पीड़िता ने स्वयं और कुछ उसकी (पीड़िता की) मां ने पीड़िता से पूछकर उत्तर दिये थे। बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पत्रावली में कागज संख्या 7क के रूप में मौजूद है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर को प्रदर्श क–01 पर प्रमाणित किया। पीड़िता का जिस समय बयान लिया गया था उस समय पीड़िता की चोट से खून आ रहा था। उसने पीड़िता के पहने हुए कपड़े अण्डरवीयर व एक सफेद कपड़ा जो खून से सना था, को

WWW.LIVELAW.IN

कब्जे में लिया था तथा फर्द बनायी थी। फर्द, पीड़िता की मां के सामने बनायी थी और उसके हस्ताक्षर कराये थे। जो प्रदर्श क–08 है।

29. अभियोजन पक्ष की ओर से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता किये जाने सम्बन्धी कार्य एवं पुलिस प्रपत्रों को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–05 के रूप में महिला कां0 प्रमिला यादव को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–05 महिला कां0 प्रमिला यादव ने न्यायालय में दिये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 01.08.2019 को थाना बेला में कार्यालय में तैनात थी। उसी दिनांक को उसे सुबोध कुमार पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया द्वारा अपनी पुत्री पीड़िता के साथ श्यामवीर द्वारा बुरी नियत से दुष्कर्म करने के इरादे से पेशाब की जगह उंगली डाल देने के सम्बन्ध में हस्त लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कराया गया था और रिपोर्ट लिखने के लिए कहा था। उसने उस प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष बेला के मौखिक आदेश पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 185/2019 धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विरूद्ध श्यामवीर पुत्र खुशीलाल निवासी ग्राम शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया किता की थी। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो उसके द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप कर किता की गयी थी, वह पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/2 है। जो उसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत है तथा उस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। जिसकी साक्षी ने पहचान व पुष्टि की, जो प्रदर्श क–06 है। इस मुकदमें का खुलासा उसने सामान्य डायरी के रपट नम्बर 37 में दिनांक 01.08.2019 समय 18.13 बजे कम्प्यूटर पर टाइप कर किया था। वह कम्प्यूटरीकृत कायमी सामान्य डायरी, पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 6क है, जो उसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत है। साक्षी ने उसकी पहचान व पुष्टि की, जो प्रदर्श क–07 है।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की विवेचना एवं पुलिस प्रपत्रों को साबित करने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या–09 के रूप में उपनिरीक्षक बृजेश कुमार भार्गव को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–09 उपनिरीक्षक बृजेश कुमार भार्गव ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा

WWW.LIVELAW.IN

में कथन किया है कि दिनांक 01.08.2019 को वादी सुबोध कुमार की तहरीर पर मुकदमा अ0सं0 185/2019 धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट प्राप्त होने पर उसे विवेचना सुपुर्द की गयी। नकल चिक का विवरण जी0डी0 में अंकित किया गया। महिला कां0 प्रमिला यादव, वादी सुबोध कुमार, पीड़िता की मां गुड्डी देवी व पीड़िता का बयान वर्णित किया गया। दिनांक 02.08. 2019 को ही अभियुक्त श्यामवीर की गिरफ्तारी की गयी तथा उसके बयान लिये गये। बयान में उसने कहा गलती हो गयी क्षमा चाहता हूं और अपने जुर्म को स्वीकार किया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा चिकित्सीय परीक्षण का विवरण तथा घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 03.08.2019 को किया गया। दिनांक 07.08.2019 को पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित नहीं कराया जा सका। दिनांक 13.08.2019 को पीड़िता का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया गया तथा उसका अवलोकन करके, उसका बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 16.08.2019 को अभियुक्त का अग्रिम 14 दिवस का रिमाण्ड, साक्ष्य सम्पूर्ण न हो पाने के कारण स्वीकृत कराया गया। दिनांक 17.08.2019 को पीड़िता की पूरक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर अंकित किया गया तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र से जन्म के सम्बन्ध में प्रपत्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तथा महिला डा0 सीमा गुप्ता का बयान अंकित किया गया। दिनांक 03.08.2019 मधुबाला पत्नी नीरज कुमार का परिस्थिति जन्य साक्ष्य अंकित किया गया। दिनांक 02.08.2019 को पीड़िता का धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित करने वाली महिला कां0 शोभा देवी का बयान अंकित किया गया। तमाम विवेचना बयान वादी व परीक्षण रिपोर्ट चिकित्सीय तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 व धारा 164 दं0प्र0सं0, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल परीक्षण पूरक व शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि से अभियुक्त श्यामवीर के विरुद्ध धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–12क उसके द्वारा बनाया गया। घटनास्थल नक्शा–नजरी उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी

WWW.LIVELAW.IN

ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की, जो प्रदर्श क–10 है। उसके द्वारा पत्रावली में शामिल आरोप पत्र कागज संख्या–3क/1 लगायत 3क/2 कम्प्यूटरीकृत टाइप कराकर न्यायालय में दाखिल किया गया था, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित है। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है, जो प्रदर्श क–11 है।

31. प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा सुबोध कुमार ने लिखायी थी। सुबोध कुमार, पीड़िता का पिता है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार ने अपनी पुत्री पीड़िता की उम्र चार–साढ़े चार वर्ष तथा जन्मतिथि 12 अप्रैल 2015 बतायी है तथा गांव के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ना बताया है। यह भी बताया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र वादी के घर से 10–12 घर छोड़कर है। वादी ने घटना दिनांक 01.08.2019 समय लगभग साढ़े नौ–दस बजे की बतायी है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान में बताया है कि दिनांक 01.08.2019 को सुबह 09.30–10.00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता खेलते–खेलते आंगनबाड़ी केन्द्र से बाहर आ गयी तथा अभियुक्त श्यामवीर की झोपड़ी की तरफ पहुंच गयी। वहां से अभियुक्त उसे बुलाकर अपने घर ले गया, उस समय अभियुक्त के घर पर कोई नहीं था। अभियुक्त ने पीड़िता को चारपाई पर लिटाकर उसके पेशाब करने की जगह पर उंगली डाल दी जिससे पीड़िता के पेशाब करने की जगह से खून निकलने लगा। पीड़िता ने घर आकर अपनी मां (गुड्डी देवी) को सारी घटना बतायी, उसके उपरानत पीड़िता की मां अर्थात गुड्डी देवी ने अपने पति अर्थात सुबोध कुमार को घटना की सूचना दी। उस समय सुबोध कुमार घर के बाहर काम कर रहा था। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी गुड्डी देवी के साथ पीड़िता को लेकर थाना बेला गया था और थाने के बाहर एक लड़के से तहरीर लिखवाकर, पढ़–सुनकर, समझकर अपने हस्ताक्षर बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी थी। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार के सशपथ बयान से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने स्वयं कोई घटना नहीं देखी है अर्थात अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

32. पीड़िता के साथ घटना घटित होने पर, पीड़िता ने इसकी

WWW.LIVELAW.IN

सूचना अपने घर जाकर सर्वप्रथम अपनी मम्मी/माता गुड्डी देवी को दी थी। गुड्डी देवी को अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी संख्या–03 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 01.08.2019 को जब उसकी पुत्री पीड़िता के साथ अभियुक्त श्यामवीर ने घटना कारित किया तो पीड़िता ने घर आकर सर्वप्रथम अपनी माता गुड्डी देवी को पूरी घटना बतायी थी। अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान में स्पष्ट बताया है कि उसकी पुत्री की जम्मतिथि 12.04.2015 है तथा चार–सवा चार वर्ष उम्र है तथा गांव के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ती है। दिनांक 01.08.2019 को सुबह 07.00 बजे पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र गयी थी। दिनांक 01.08.2019 को सुबह लगभग 09.30–10.00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता खेलते–खेलते आंगनबाड़ी केन्द्र से बाहर आ गयी और अभियुक्त के घर के पास पहुंची गयी तथा अभियुक्त श्यामवीर, पीड़िता को अपने घर ले गया। अभियुक्त के घर पर उस समय कोई नहीं था। अभियुक्त ने पीड़िता को चारपाई पर लिटाकर उसके पेशाब की जगह में उंगली डाल दी, जिससे पीड़िता की पेशाब की जगह में चोट लग गयी एवं खून निकलने लगा। पीड़िता रोने लगी, पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया। पीड़िता रोते हुए अपने घर आयी और पूरी घटना अपनी माता गुड्डी देवी अर्थात अभियोजन साक्षी संख्या–03 को बतायी, तब गुड्डी देवी ने पूरी घटना घर के बाहर काम कर रहे अपने पति सुबोध कुमार को बतायी। अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी भी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी को घटना की जो भी जानकारी हुई है, वह पीड़िता के बताने के आधार पर हुई है। भारतीय ग्रामीण परिवेश में यह पूर्णतया स्वाभाविक है कि किसी लड़की के साथ यौन उत्पीड़न या यौन हमला होने पर वह स्वाभाविक रूप से अपनी बहन, माता या किसी महिला सदस्य को ही इस प्रकार की घटना बताती है, संकोच एवं शर्म के कारण घर के पुरूष सदस्य को इस प्रकार की बात नहीं बताती है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता

WWW.LIVELAW.IN

अभियोजन साक्षी संख्या–01 घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात अपने घर आयी तथा घर पर उसकी मां मिली, पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बतायी।

33. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात के आचरण को सुसंगत बताया गया है। धारा 8 के दृष्टांत (j) में प्रावधान है कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें यह परिवाद किया गया, सुसंगत है। प्रस्तुत प्रकरण में अपने साथ घटना घटित होने पर पीड़िता ने तुरन्त घर आकर तत्काल अपनी मां को पूरी घटना बतायी, जोकि पूरी तरह स्वाभाविक था। इस प्रकार पीड़िता का घटना के तुरन्त पश्चात का आचरण धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगत तथ्य है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या–03 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने स्वयं घटना नहीं देखी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने हेतु थाना में दी गयी मूल तहरीर प्रदर्श क–03 में भी स्पष्ट लिखा है कि ''बच्ची ने आकर अपनी मां गुड्डी देवी से बताया तब मेरी पत्नी गुड्डी देवी ने मुझे सूचना दी'' अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र से भी हो जाती है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी का बयान पूर्णतया स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या–04 में अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने कहा है कि घटना के बाद उसकी बेटी पीड़िता सुबह लगभग 10.00 बजे घर आयी थी। घर आकर 10 मिनट में सारी बात बतायी थी, फिर अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने पीड़िता के पिता को बुलाकर सारी घटना बतायी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Assam Vs. Ramen Dowarah, (2016) 3 SCC 19 (para 12) में अवधारित किया है कि घटना के तुरन्त पश्चात पीड़िता का आचरण उसकी साक्ष्य को विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 ने अपने साथ घटित घटना की शिकायत घटना के तुरन्त

WWW.LIVELAW.IN

पश्चात घर जाकर अपनी माता से की थी। पीड़िता ने घर जाकर अपनी माता को बताया था कि अभियुक्त श्यामवीर ने उसके गुप्तांग में जबरदस्ती उंगली डालकर चोट पंहुचाया था। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण में लागू होते हैं और इससे अभियोजन कथानक को बल प्रदान होता है।

34. बचाव पक्ष का तर्क है कि पीड़िता के अतिरिक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं बताया गया है। पीड़िता की उम्र लगभग साढ़े चार वर्ष है। पीड़िता अत्यधिक कम आयु की लड़की है, इसलिए इस साक्षी के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

35. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के विरोध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि कम आयु या शारीरिक दुर्बलता या किसी अन्य आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता सक्षम साक्षी नहीं है। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना सही रूप से अपनी माता को बतायी थी। पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान के द्वारा घटना की पुष्टि की है। अतः कम आयु के आधार पर पीड़िता के बयान को अमान्य नहीं किया जा सकता।

36. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा अंकित किये जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा उससे अनेक प्रश्न इस तथ्य की जांच करने के लिए किये गये कि पीड़िता की कम आयु के कारण वह सक्षम साक्षी है अथवा नहीं तथा न्यायालय द्वारा यह भी जांच की गयी कि वह अपने साथ हुई घटना को न्यायालय के समक्ष सही–सही बताने में सक्षम है या नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 में प्रावधान है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य देने हेतु किसी विशिष्ट आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णीत विधियों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बाल साक्षी (Child Witness) भी सक्षम साक्षी हो सकेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gul Singh Vs. State of MP, 2015 (88) ACC 358 (SC) में अवधारित किया गया है कि बाल साक्षी की साक्ष्य को तब तक अमान्य नहीं किया जायेगा

WWW.LIVELAW.IN

जब तक कि यह साबित न हो जाये कि बाल साक्षी अविश्वसनीय है या सिखाया–पढ़ाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 जोकि एक बाल साक्षी है, ने न्यायालय में दिये गये बयान द्वारा अभियोजन कथानक की पुष्टि की है तथा अपने द्वारा धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 में दिये गये कथन का समर्थन किया है। पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये उत्तरों से यह साबित है कि वह सक्षम साक्षी है। अतः उसकी कम आयु होने के आधार पर पीड़िता की साक्ष्य का महत्व किसी प्रकार से कम नहीं होता है।

37. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता है। पीड़िता की जन्मतिथि 12.04.2015 होना अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने साबित किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–07 कल्पना देवी ने भी प्रपत्रों के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 12.04.2015 होना साबित किया है। प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 01.08.2019 की बतायी गयी है। पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 की जन्मतिथि 12.04.2015 है। इस प्रकार साबित है कि घटना की दिनांक पर पीड़िता की उम्र लगभग सवा चार वर्ष थी। पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए दिनांक 22.08.2019 को आयी थी। पीड़िता देखने में अत्यधिक अल्प आयु की लग रही थी, इसलिए उसका बयान लिये जाने के पूर्व न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना आवश्यक था कि पीड़िता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 के तहत बयान देने के लिए सक्षम साक्षी है या नहीं। इसकी परख के लिए सामान्य जानकारी के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पीड़िता से कुछ प्रश्न किये गये जोकि इस प्रकार है–

प्रश्न–आपका नाम क्या है?
उत्तर–मेरा नाम .... है।
प्रश्न– आपके पापा का क्या नाम है?
उत्तर–सुबोध।
प्रश्न–आपकी मम्मी का क्या नाम है?
उत्तर–गुड्डी देवी।
प्रश्न–आप पढ़ने जाती हो?
उत्तर–जी हां।

WWW.LIVELAW.IN

प्रश्न–कहां पढ़ने जाती हो?

उत्तर–आंगनवाड़ी केन्द्र में।

प्रश्न–आपके गांव का नाम क्या है?

उत्तर–शंकरपुर।

प्रश्न–आपके भाई का क्या नाम है?

उत्तर–मेरे भाई का नाम आयुष, नितिन व कृष्णा है।

प्रश्न–आपकी बड़ी बहन का क्या नाम है?

उत्तर–बड़ी बहन का नाम नन्दिनी, दूसरी बहन नव्या है, उसके बाद मैं हूं।

प्रश्न–आंगनवाड़ी केन्द्र पढ़ने कैसे जाती है?

उत्तर–पैदल–पैदल जाती हूं।

प्रश्न–यहां आप किसलिए आई हो?

उत्तर–बयान देने के लिए।

प्रश्न–अदालत में सत्य या झूठ बोलना चाहिए?

उत्तर–सही बोलना चाहिए।

38. पीड़िता द्वारा दिये गये उत्तर की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय इस बात से संतुष्ट हुआ कि पीड़िता साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी है। पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त श्यामवीर की पहचान की है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने न्यायालय में स्पष्ट बताया की घटना वाले दिन लंच में आंगनबाड़ी केन्द्र से आ रही थी, रास्ते में श्यामवीर चच्चू मिल गये थे, अपने घर ले गये। श्यामवीर घर पर अकेला था। अभियुक्त श्यामवीर ने उसे चारपाई पर लिटा दिया। लिटाने के बाद अभियुक्त श्यामवीर ने पीड़िता की सूसू वाली जगह में उंगली डाल दी, जिससे पीड़िता बहुत जोर से चिल्लाई थी जिससे खून निकला था। वह जोर से चिल्लाने लगी थी अभियुक्त ने उंगली डालते समय पीड़िता की चड्ढी निकाल दी थी। पीड़िता की सूसू वाली जगह से खून निकलने लगा था। पीड़िता बहुत जोर से रोने लगी तब अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया था। फिर घर आकर पीड़िता ने पूरी घ टना अपनी मां को बतायी थी। पीड़िता ने बताया कि स्कूल में लंच 09.30 बजे होता है। पीड़िता ने यह भी बताया कि पुलिस आण्टी ने उसका बयान लिया था। वह मम्मी–पापा के साथ व पुलिस के साथ अस्पताल गयी थी, जहां उसकी डाक्टरी हुई थी। इस साक्षी ने यह

WWW.LIVELAW.IN

भी कहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान हुआ था। अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने बताया है कि उसके घर मम्मी–पापा, भाई–बहन व दादा–दादी रहते हैं, चाचा–चाची अलग घर में रहते हैं। वह आंगनबाड़ी केन्द्र में एक साल से पढ़ रही है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि वह आंगनबाड़ी केन्द्र 07.00 बजे जाती है। लंच में बाहर खेलने आ जाती है। घटना के बाद सीधी घर अकेली आ गयी थी। मां को सारी बात बतायी थी, पापा थोड़ी देर बाद घर आये थे। चोट लगने व रोने पर बचाने कोई नहीं आया था। पुलिस घर में पुलिस आण्टी व पुलिस अंकल मिले थे, उन्हें पूरी बात बतायी थी। पुलिस आण्टी ने बयान लिया था। उसकी चोट डाक्टर ने अस्पताल में देखी थी, उस समय मम्मी–पापा साथ थे। डाक्टर साहब ने पूछताछ की थी, मम्मी–पापा के हस्ताक्षर करवाये थे। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कहा है कि ''यह कहना गलत है कि मैं लंच में बाहर पेशाब करने गयी थी और मुझे लकड़ी लग जाने से चोट आई हो। साक्षी ने यह भी कहा है कि यह कहना गलत है कि श्यामवीर चच्चू ने मुझे कोई चोट न पंहुचाई हो। साक्षी का यह भी कहना है कि मैं जब न्यायालय में बयान देने आई हूं तो मुझे किसी ने नहीं समझाया है। मैं सच्ची बात बता रही हूं।'' इस प्रकार पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने सम्पूर्ण घटना स्वाभाविक रूप से बतायी है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट होता है कि यह, अभियुक्त श्यामवीर को पहले से जानती है, इसीलिए अभियुक्त श्यामवीर को चच्चू के नाम से पुकारती है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि उसकी अभियुक्त श्यामवीर से कोई लड़ाई या विवाद/रंजिश नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 दिनांक 01.08.2019 को लिखा गया था तथा बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 दिनांक 13.08.2019 को लिखा गया था। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में स्पष्ट रूप से कहा है कि लंच के बाद समय लगभग 09.30–10.00 बजे के आस–पास श्यामवीर के घर की तरफ चली गयी थी। चच्चू श्यामवीर अपने घर बुला ले गये। उनके घर पर कोई नहीं था चच्चू श्यामवीर ने घर में ले जाकर

WWW.LIVELAW.IN

चारपाई में लेटाकर सूसू की जगह में थूक लगाकर उंगली डाल दी जिसकी वजह से उसके पेशाब की जगह खून आ रहा है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि उसके सूसू वाली चोट लगी है वहां से खूनी निकल रहा था। श्यामवीर चच्चू ने उसके चोट लगा दी थी। वह श्यामवीर चच्चू के घर खेल रही थी। घर में कोई नहीं था। चच्चू ने खटिया पर लिटा दिया था। अपने कपड़े नहीं उतारे थे उसकी कच्छी उतार दी थी। चच्चू ने उसके नीचे उंगली डाल दी थी। बहुत जोर से डाली तो उसके चोट लग गई। खून निकलने लगा। वह रोने लगी। चड्ढी पहन के अपने घर चली आयी। उसने घर आकर मम्मी को बताया कि श्यामवीर चच्चू ने खून निकाल दिया है। पीड़िता ने न्यायालय में दिये गये बयान में अभियोजन कथानक की पुष्टि की है तथा बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में किये गये कथनों की पुष्टि न्यायालय में दिये गये बयान में की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम व धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में साक्षी द्वारा धारा 164 दं0प्र0सं0 में दिये गये बयान के विधिक महत्व को अवधारित करते हुए Nabi Ahmad Vs. State of U.P., 1999 (2) Crimes 272 एवं Utpal Das Vs. State of WB, AIR 2010 SC 1894 में अवधारित किया गया है कि धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान सम्पोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता द्वारा न्यायालय में किये गये कथन तथा धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में किये गये कथन एक समान है। इस प्रकार पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान की सम्पुष्टि धारा 161 दं0प्र0सं0 व धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान से भी होती है।

39. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता के अतिरिक्त अन्य कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष ने घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में केवल अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता को परीक्षित कराया है। अतः एक

WWW.LIVELAW.IN

मात्र साक्षी की परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

40. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिये गये प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय की राय है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई निश्चित संख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विहित नहीं की गयी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में प्रावधान है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Sudip kumar Sen Vs. State of W.B., (2016) 3 SCC 26; State of UP Vs. Satveer, (2015) 9 SCC 44 एवं Nand kumar Vs. State of Chhatisgarh, (2015) 1 SCC 776 में अवधारित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है यदि साक्षी का बयान स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान पूर्णतया स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हैं। पीड़िता ने घटना की शिकायत घटना के तुरन्त पश्चात अपनी माता से किया था, जोकि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए पूर्णतया स्वाभाविक थी। पीड़िता ने धारा 161 दं0प्र0सं0, धारा 164 दं0प्र0सं0 एवं न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान से घटना की पुष्टि की है। अतः घटना का कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के आधार पर अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर या गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Ganga Singh Vs. State of MP, AIR 2013 SC 3008 में यह अवधारित किया गया है कि बलात्संग के मामले में पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से होना आवश्यक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of U.P. Vs. Chottey Lal, AIR 2011 SC 697; Rajinder Vs. State of H.P., AIR 2009 SC 3022 एवं Ahimuddin Vs. State of U.P., 2006 (6) ALJ (NOC) 1360 (AII) में यह अवधारित किया गया है कि लैंगिक हमले की

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता का साक्ष्य, मजरूब साक्षी के साक्ष्य के समान होता है। इस प्रकार की साक्षी के एकमात्र बयान के आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है। लैंगिक हमला की पीड़िता की साक्ष्य की सम्पुष्टि होना आवश्यक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Md. Iqbal Vs. State of Jharkhand; 2013 (5) ALJ 617 में अवधारित किया है कि पीड़िता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है।

41. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण घटना अभियुक्त के घर के अन्दर घटित हुई थी, उस समय अभियुक्त के घर पर कोई नहीं था। इसलिए घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मिल पाना सम्भव नहीं था। अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, परन्तु इस साक्षी का साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साक्षी ने घटना की दिनांक 01.08.2019 को समय 09.30 बजे पीड़िता को अभियुक्त श्यामवीर के साथ अभियुक्त के घर की तरफ जाते हुए देखा था। अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला ने सशपथ बयान में स्पष्ट बताया है कि ''दिनांक 01.08.2019 को समय करीब 09.30 बजे की बात है मैं अपने घर से खेत पर खड़ंजा मार्ग से जा रही थी रास्ते में स्कूल के पास पीड़िता पुत्री सुबोध कुमार को अभियुक्त श्यामवीर हाथ पकड़कर अपने घर की ओर ले जा रहा था। मैं अपने खेत पर चली गयी थी। जब मैं 10.30 बजे लोटकर आयी तब मुहल्ले में पीड़िता के साथी घटी घटना की जानकारी हुई।'' अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बताया है कि घर आकर उसने पीड़िता को खूनी हालत में देखा था उस समय पीड़िता के पेशाब के रास्ते से खून आ रहा था। अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान को विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि इस साक्षी की अभियुक्त से कोई रंजिश या विवाद नहीं है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला का बयान पूर्णतया स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। पीड़िता के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, परन्तु अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला द्वारा घटना

WWW.LIVELAW.IN

घटित होने से पहले पीड़िता को अभियुक्त के साथ जाते हुए देखा गया था, जिसके उपरान्त कुछ समय पश्चात यह घटना घटित हुई है। अभियुक्त, पीड़िता को अपने साथ अपने घर ले गया था और अपने घर पर पीड़िता के साथ घटना कारित की है। यह सही है कि अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला इस घटना की प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है, परन्तु इस साक्षी ने घटना के तुरन्त पहले पीड़िता को अभियुक्त के साथ जाते हुए देखा है। घटना घटित होने के उपरान्त पीड़िता ने घटना की सूचना अपने माता को दी थी, जिसके अनुक्रम में पीड़िता के पिता अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवायी थी। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान में इस तथ्य को साबित किया है कि उसकी पुत्री पीड़िता ने घटना बतायी थी। पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01 ने भी घटना की पुष्टि की है। चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के गुप्तांग में उंगली डालकर उपहति कारित की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 4 Supreme Court Cases 210 Vijay Raikwar Vs. State of Madhya Pradesh में अवधारित किया है कि जहां पर अभियुक्त को घटना के तुरन्त पूर्व पीड़ित के साथ देखा गया है तथा अभियुक्त के साथ पीड़ित को देखे जाने के उपरान्त पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तथा अभियुक्त के घर से पीड़ित के कपड़े भी पाये जाते है तथा अभियुक्त अपने धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान में अभियोगात्मक परिस्थितियों एवं सामग्री का स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है, वहां पर घटना के तुरन्त पहले अभियुक्त को पीड़ित के साथ देखा जाना एक सुसंगत तथ्य है, जिसको न्यायालय संज्ञान में ले सकता है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामले में घटना के तुरन्त पूर्व पीड़िता को अभियुक्त श्यामवीर के साथ अभियुक्त के घर जाते हुए देखा गया है, जोकि एक सुसंगत तथ्य है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण में लागू होते हैं तथा इससे अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

42. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण डा0 सीमा गुप्ता द्वारा किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से डा0 सीमा गुप्ता को अभियोजन

WWW.LIVELAW.IN

साक्षी संख्या–04 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–04 डा0 सीमा गुप्ता ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि पीड़िता के बाह्य शरीर पर कोई चोट के निशन नहीं थे। पीड़िता के गुप्तांग का परीक्षण करने पर देखा कि योनि में चोट थी, जो छः बजे (6 O'Clock)की स्थिति में थी जिसका आकार 1/2 x 1/2 सेमी0 था। जहां से खून आ रहा था व लाल रंग का जमा हुआ खून भी था। गुप्तांग के चारों तरफ जमा हुआ खून था। साक्षी ने अपने सशपथ बयान की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता को चोट अभियुक्त द्वारा उंगली से पहुंचाई गयी है। पीड़िता के चोट लकड़ी से आना सम्भव नहीं है। इस प्रकार पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–01, अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी द्वारा अपने सशपथ बयानों में पीड़िता को घटना में जो चोट आना बतायी गयी हैं उनकी पुष्टि अभियोजन साक्षी संख्या–04 डा0 सीमा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य एवं डा0 सीमा गुप्ता द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय परीक्षण आख्या से भी हो रही है।

43. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2019 CRI.L.J. (NOC) 279 (M.P.) Mahendra Singh Gond Vs. State of Madhya Pradesh में अवधारित किया है कि जहां पर चार–साढ़े चार वर्ष की लड़की के गुप्तांग में अभियुक्त द्वारा उंगली डालकर उपहति/चोट कारित की गयी है, जिससे खून निकला था तथा चिकित्सीय परीक्षण में यह पाया गया है कि पीड़िता के गुप्तांग में उंगली से चोट कारित की गयी है, वहां पर घटना की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होना पाया गया है। इसी प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2019 CRI.L.J. 3393 (CALCUTTA HIGH COURT) Akhil Shil Vs. State. में अवधारित किया है कि जहां पर 03 वर्ष की लड़की के गुप्तांग में अभियुक्त ने उंगली डालकर उपहति कारित की गयी थी तथा पीड़िता के माता–पिता ने पुष्टि की थी वहां माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि जहां पर पीड़िता एवं माता–पिता के मौखिक साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है वहां पर मौखिक साक्ष्य में थोड़ा–बहुत अन्तर होने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत

WWW.LIVELAW.IN

प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि अभियुक्त ने पीड़िता के गुप्तांग में उंगली डालकर उपहति कारित की गयी थी, जिससे खून भी निकला था। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण घटना के तुरन्त पश्चात किया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या–04 डा0 सीमा गुप्ता ने चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के गुप्तांग में चोट पायी थी। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। इस प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि के तथ्य इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामले के तथ्यों से पूरी तरह मेल खाते हैं तथा उपरोक्त विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं तथा इससे अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

44. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Chimanbhai Ukabhai Vs. State of Gujarat, AIR 1983 SC में अवधारित किया गया है कि चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य सम्पूष्टिकारक होता है यह मौलिक साक्ष्य नहीं होता है। चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर यह अवधारित किया जाता है कि क्या चोट उसी प्रकार आयी थी, जैसा कि मौखिक साक्षियों ने बताया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता ने बताया है कि अभियुक्त श्यामवीर ने उसके गुप्तांग में उंगली डाल दिया था जिससे उसे चोट आई थी और खून निकला था। चिकित्सक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–04 डा0 सीमा गुप्ता ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की प्रतिपरीक्षा में कहा है कि पीड़िता को चोट अभियुक्त द्वारा उंगली से पहुंचाई गयी है। पीड़िता के चोट लकड़ी से आना सम्भव नहीं है। इस प्रकार पीड़िता द्वारा बताये गये कथनों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है।

45. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 01.08.2019 की है तथा पीड़िता की जन्मतिथि 12.04.2015 होना अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी तथा अभियोजन साक्षी संख्या–07 कल्पना देवी ने साबित किया है। चूंकि घटना दिनांक 01.08.2015 है तथा पीड़िता की जन्मतिथि 12.04.2015 है। अतः घटना की तिथि पर पीड़िता का बारह वर्ष से कम आयु की होना पूर्णतया साबित है।

46. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत

WWW.LIVELAW.IN

प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार वादी मुकदमा है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान में कथन किया है कि वादी सुबोध कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–03 थाने के बाहर एक अपरिचित लड़के से लिखावाकर दिया जाना बताया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर लेखक को अभियोजन पक्ष ने परीक्षित नहीं कराया है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है और इसी आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

47. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर लेखक घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। तहरीर लेखक ने कोई घटना स्वयं नहीं देखी है, इसलिए तहरीर लेखक को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन कथानक की विश्सनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Moti Lal Vs. State of U.P., 2009 (7) Supreme 632 एवं Anil Kumar Vs. State of U.P., (2003) 3 SCC 569 में अवधारित किया है कि जहां पर तहरीर लेखक घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और वादी मुकदमा ने अपने को अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराकर तहरीर को साबित किया है वहां पर तहरीर लेखक को परीक्षित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार वादी मुकदमा ने तहरीर प्रदर्श क–03 पर अपने हस्ताक्षर तथा इसमें लिखे गये तथ्यों को साबित किया है। अतः न्यायालय की राय है कि तहरीर लेखक को परीक्षित कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी तथा तहरीर लेखक को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

48. पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 12क घटना स्थल का नक्शानजरी है, जिसे अभियोजन साक्षी संख्या–09 उपनिरीक्षक बृजेश कुमार भार्गव द्वारा प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। नक्शानजरी प्रदर्श क–10 में ''A'' चिन्ह से अभियुक्त श्यामवीर के मकान को चिन्हित किया गया है। घटना स्थल के नक्शानजरी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्राइमरी पाठशाला व आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां पीड़िता को पढ़ना बताया गया है उसके तथा अभियुक्त

WWW.LIVELAW.IN

के घर के मध्य एक मकान है तथा मकान के बाद खड़ंजा तथा खड़ंजे के बाद अभियुक्त का मकान है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''पीड़िता मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ती है जोकि मेरे घर से 10–12 घर छोड़कर है।'' अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी ने न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान की प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या–05 में कथन किया है कि ''आंगनबाड़ी केन्द्र मेरे घर से करीब 10–12 घर छोड़कर स्थित है। आंगनबाड़ी से एक घर छोड़कर श्यामवीर का घर स्थित है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी द्वारा दिये गये बयानों की पुष्टि नक्शानजरी प्रदर्श क–10 से भी होती है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबोध कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–03 गुड्डी देवी द्वारा घटना, घटनास्थल, घटना का समय एवं घटना की दिनांक को साबित किया गया है।

49. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कहा है कि वादी सुबोध कुमार के भाई नीरज की पत्नी मधुबाला के राजाराम के लड़के अर्जुन से गलत सम्बध थे। राजाराम ने कई बार मधुबाला को समझाया था तथा वादी से कहा तो वादी ने धमकी दिया कि वह अभियुक्त के परिवार के लोगों को बलात्कार के झूठे मुकदमें में फंसा देगा। इसी रंजिश के कारण अभियुक्त श्यामवीर का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा दिया गया है। अतः अभियुक्त के धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान के आधार पर अभियुक्त की निर्दोषिता साबित है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

50. अभियुक्त की तरफ से उपरोक्त तर्क के सम्बन्ध में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त यह साबित नहीं कर पाया है कि वादी मुकदमा की अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई रंजिश या विवाद है। बचाव पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है अभियोजन साक्षी संख्या–08 श्रीमती मधुबाला से कोई रंजिश अभियुक्त की थी। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 01.08.2019 को वादी मुकदमा सुबोध कुमार की पुत्री पीड़िता को अपने घर ले गया तथा पीड़िता को चारपाई पर बैठाकर उसके गुप्तांग में उंगली डालकर

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता के साथ बलात्संग किया तथा पीड़िता पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

51. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि दिनांक 01.08.2019 को समय सुबह 09.30 बजे से 10.00 बजे के मध्य स्थान ग्राम शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया में जब प्रथम सूचना दाता सुबोध कुमार की अवयस्क पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 04 वर्ष गांव के प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी से लंच के बाद अभियुक्त के घर की तरफ खेलने गयी थी तो अभियुक्त श्यामवीर, पीड़िता को बुलाकर अपने घर में ले गया तथा बुरी नियत एवं दुष्कर्म करने के उद्देश्य से पीड़िता को चारपाई पर बैठा लिया तथा पीड़िता की योनि में उंगली डालकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 376–कख भा0दं0सं0 एवं अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया सफल रहा है, तद्नुसार अभियुक्त उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(1) अभियुक्त श्यामवीर को अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 376–कख भा0दं0सं0 1860 के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(2) अभियुक्त श्यामवीर को अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(3) अभियुक्त श्यामवीर, जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

<u>दिनांक 29.08.2019</u>

(राजेश चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का सं0 अधि0,
कक्ष संख्या–01, औरैया।

WWW.LIVELAW.IN

दिनांक 29.08.2019

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अपराधी श्यामवीर के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

दोषसिद्ध अपराधी श्यामवीर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह 19 वर्षीय नवयुवक है तथा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। उसका यह प्रथम अपराध है। अधिक समय तक कारागार में निरूद्ध रहने से उसका भावी जीवन प्रभावित होगा। अतः उसकी अल्पायु को देखते हुए उसे कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस आशय का तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध अपराधी श्यामवीर, पीड़िता / नाबालिग जोकि मात्र 4 वर्ष की है, को पकड़कर अपने घर में ले गया तथा पीड़िता को चारपाई पर लिटाकर उसके गुप्तांग में उंगली डालकर पीड़िता के साथ बलात्संग एवं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा कारित कृत्य बहुत ही घृणित है जो दोषसिद्ध अपराधी की घिनोनी मानसिकता को दर्शाता है। दोषसिद्ध अपराधी का समाज में स्वछन्द रहना समाज के लिए घातक है। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा कारित अपराध अत्यधिक गम्भीर प्रकृति का है। यह भी तर्क है कि 18 वर्ष आयु से कम के बालकों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने हेतु भारतीय संसद द्वारा विशेष अधिनियम, यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया है। इस विशेष अधिनियम में संसद एवं अधिनियम की मंशा है कि अपराधी को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये तथा अपराधी के साथ उदार दृष्टिकोण न अपनाया जाए। अतः दोषसिद्ध अपराधी के आपराधिक कृत्य को देखते हुए उसे कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Satya Narayan Tiwari @ Jolly & others Vs. Stata of U.P. MANU/SC/0910/2010 (2010) 13 SCC 689 एवं Sukhdev Singh & others Vs. State of Punjab MANU/SC/1331/2010 (2010) 13 SCC 656 में

WWW.LIVELAW.IN

अवधारित किया है कि महिलाओं के विरूद्ध जो अपराध कारित किया जाता है वह किसी क्षणिक आवेश या सम्पत्ति के लिए कारित नहीं किया जाता है। महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध सम्पूर्ण समाज के विरूद्ध होता है। इस प्रकार के अपराध से समाज का ताना–बाना छिन्न–भिन्न हो जाता है। अतः ऐसे अपराधों में अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। यह भी अवधारित किया गया है कि बलात्संग केवल एक लैंगिक अपराध नहीं है, बल्कि यह महिला के अन्तरंगता (Privacy) के विरूद्ध भी अपराध है, जोकि पीड़िता के ऊपर एक सामाजिक धब्बा लगाता है तथा उसको मनोवैज्ञानिक पीड़ा कारित करता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Deepak Rai etc. Vs. State of Bihar (2013) 10 SCC 421 में अवधारित किया है कि अभियुक्त की कम आयु सजा को कम करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of M.P. Vs. Najab Kahn & Ors.; AIR 2013 SC 2997 में अवधारित किया है कि किसी अपराधी को समुचित दण्ड देते समय न्यायालय को अभियुक्त के व्यक्तिगत हित एवं सम्पूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य एक सन्तुलन स्थापित करना चाहिए तथा समाज पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को हमेशा ज्यादा महत्व देना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अपराधी श्यामवीर के विरूद्ध धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376–कख भा0दं0सं0 का आरोप पूर्णतया साबित है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से दोषसिद्ध अपराधी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया जाना तथा घटना की तिथि पर पीड़िता का 12 वर्ष से कम आयु का होना साबित है। इस प्रकार दोषसिद्ध अपराधी के विरूद्ध धारा 376–कख भा0दं0सं0 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पूर्णतया साबित है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 (दिनांक 03.02.2013 से संशोधित) में प्रावधान किया गया है कि जहां कोई कार्य का लोप इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है

WWW.LIVELAW.IN

तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराधी ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाया गया अपराधी उस विधि या इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित दंड के लिए, जो मात्रा में गुरुतर हो, दायी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में घटना के समय पीड़िता की उम्र सवा चार वर्ष होना साबित है। भा0दं0सं0 की धारा 376–कख में प्रावधान किया गया है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा; परन्तु यह कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों और पुनर्वासन को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और युक्तियुक्त होगा। परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जायेगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 06 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस प्रकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 की अपेक्षाकृत भा0दं0सं0 की धारा 376–कख में अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। अतः धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में वर्णित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अपराधी को धारा 376–कख में दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार दोषसिद्ध अपराधी के विरूद्ध निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है।

<u>दण्डादेश</u>

(1) दोषसिद्ध अपराधी श्यामवीर पुत्र खुशीलाल निवासी बरकसी थाना बेला, जिला औरैया हाल निवासी दत्तक पुत्र राजाराम, शंकरपुर थाना बेला जिला औरैया को मुकदमा अपराध संख्या 185/2019 विशेष वाद संख्या 59पी/2019 थाना बेला जनपद औरैया में कारित अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 376–कख के अपराध के लिए आजीवन कारावास से दण्डित किया जाता है, जिससे उसका शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा।

WWW.LIVELAW.IN

उपरोक्त दण्डादेश के अतिरिक्त दोषसिद्ध अभियुक्त को दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसके द्वारा एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

(2) इस प्रकरण में दोषसिद्ध अपराधी द्वारा पूर्व में बितायी गयी कारावास की अवधि को इस दण्ड की मात्रा में समायोजित किया जायेगा।

(3) दोषसिद्ध अपराधी का सजा अधिपत्र बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार प्रेषित किया जावे।

(4) दोषसिद्ध अपराधी पर अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वासन हेतु प्रदान की जायेगी।

(5) दोषसिद्ध अपराधी को इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

दिनांक 29.08.2019

(राजेश चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संर0 अधि0,
कक्ष संख्या–01, औरैया।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 29.08.2019

(राजेश चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संर0 अधि0,
कक्ष संख्या–01, औरैया।